

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक :-प1(1)कार्मिक / नि.चि./31/07/748

दिनांक:- 13/06/07

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा इन्डोर पेशेंट पर 10 प्रतिशत तथा जॉचों पर 20 प्रतिशत की छूट देय होगी।

1. अमर मेडिकल एण्ड रिसर्च सेंटर,, किरण पथ, मानसरोवर,,जयपुर।
2. अग्रवाल डेन्टल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, 3/105,जवाहर नगर, जयपुर
3. पाण्डया हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा.लि., जे-2/37,महावीर मार्ग,सी-स्कीम, जयपुर।
4. पारदया मेमोरियल हॉस्पिटल , संत कुटीर, साँगानेर, जयपुर।

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

(1)

13/6

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त / मुख्य अभियंता-प्रथम/द्वितीय राज0आ0मण्डल,जयपुर।
2. व0नि0स0-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल,जयपुर।
3. अति0 मुख्य अभियंताराज0आ0मण्डल,जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत..... रा0आ0म0.....।
5. आवासीय अभियंता खण्ड.....रा0आ0म0.....।
6. संबधित हास्पिटल.....।
7. विशेषाधिकारी-अध्यक्ष, रा.आ.म.,जयपुर।
8. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय..... राज0आ0मण्डल,जयपुर।
9. नोटिस बोर्ड /रक्षित पत्रावली

(1)

13/6

सचिव